



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227711
CG-DL-E-18062021-227711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943

No. 2232]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2021

का.आ. 2404(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें तथा निबंधन) नियमावली, 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1(घ) और उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अनंता बरूआ की भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि को 31.07.2021 के उपरान्त, दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.07.2023 तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 2/1/2021-आरई]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2021

S.O. 2404(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1)(d) and Sub-Section (4) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with Rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby extends the tenure of appointment of Shri Ananta Barua as Whole-Time Member of the Securities and Exchange Board of India for a period of two years beyond 31.07.2021 i.e. upto 31.07.2023 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2021-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.